भारत सरकार

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3565

उत्तर देने की तारीख 17 मार्च, 2021

राइट ऑफ वे की अनुमति

3565. श्री तालारी रंगैय्या; श्रीमती चिंता अनुराधा; श्री पी.वी.मिथुन रेड्डी; श्री एम.वी.वी.सत्यनारायण; कुमारी गोड्डेति माधवी; श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर; श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार 'राइट ऑफ वे' अनुमति, जो कि उपरि और भूमिगत दूरसंचार अवसंरचना के लिए आवश्यक है, को सुकर बनाने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे देश में 5जी प्रौद्योगिकी के आरंभ होने का मार्ग प्रशस्त होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर

संचार, शिक्षा तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री

(श्री संजय धोत्रे)

(क) और (ख) देश में भूमिगत तथा साथ ही भूमि पर टेलीग्राफ अवसंरचना की स्थापना और विस्तार को प्रभावित करने वाले बहुल मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) संबंधी मुद्दों का समाधान करने के लिए भारत सरकार ने दिनांक 15 नवंबर, 2016 को भारतीय टेलीग्राफ मार्गाधिकार नियमावली, 2016 अधिसूचित की है। इन नियमों में टेलीग्राफ अवसंरचना के लिए मार्गाधिकार की अनुमति के प्रावधान निर्धारित किए गए हैं और इनमें अन्य बातों के साथ-साथ समयबद्ध अनुमोदन, डीम्ड अनुमति, प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए एक बारगी शुल्क और इलेक्ट्रॉनिक आवेदन प्रक्रिया विधि का प्रावधान किया गया है।

(ग) और (घ) भारत में 5जी प्रौद्योगिकी की शुरूआत करने के लिए बैकहॉल और बड़ी संख्या में छोटी सेल साइट सहित टेलीग्राफ अवसंरचना की आवश्यकता होगी। भारतीय टेलीग्राफ मार्गाधिकार नियमावली, 2016 आवश्यक अनुमति प्रक्रिया को सरल बनाएगी और 5जी प्रौद्योगिकी के लिए टेलीग्राफ अवसंरचना की स्थापना और विस्तार का मार्ग प्रशस्त करेगी।

****